प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 मार्च, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र उर्फ काकू पुत्र श्री सूरजभान त्यागी, निवासी जनपद-सहारनपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-16469/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.04.2024) दिनांक 10.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र उर्फ काकू पुत्र श्री सूरजभान त्यागी, छाछरेकी, थाना-गंगालहेडी, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। ट्यूबवैल की केबिल जबरन डालने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 06.06.2009 को बन्दी ने देशी तमन्चें से गोली मारकर अपने भाई सतीश की हत्या कर दी तथा पिता सूरजभान को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-440, 441/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-09, सहारनपुर के आदेश दिनांक 26.05.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 16.02.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 08 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह 05 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 23.09.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु संस्तुति की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ट्यूबवैल की केबिल जबरन डालने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 06.06.2009 को बन्दी ने देशी तमन्चें से गोली मारकर अपने भाई सतीश की हत्या कर दी तथा पिता सूरजमान को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 51 वर्ष, 05 माह, 26 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने में सक्षम नहीं होने एवं पुनः अपराध कारित करने में अशक्त न होने के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नही किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी वीरेन्द्र उर्फ काकू पुत्र सूरजभान त्यागी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र उर्फ काकू (बंदी संख्या-49354) पुत्र श्री सूरजभान त्यागी, निवासी जनपद-सहारनपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-313/2025/922(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-313/2025/922/22-2-2024-17(131)/2024

दिनांक 26 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी वीरेन्द्र उर्फ काकू पुत्र श्री सूरजभान त्यागी, छाछरेकी, थाना-गंगालहेडी, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। ट्यूबवैल की केबिल जबरन डालने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 06.06.2009 को बन्दी ने देशी तमन्चें से गोली मारकर अपने भाई सतीश की हत्या कर दी तथा पिता सूरजभान को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-440, 441/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-09, सहारनपुर के आदेश दिनांक 26.05.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 16.02.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 08 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह 05 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 23.09.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु संस्तुति की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ट्यूबवैल की केबिल जबरन डालने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 06.06.2009 को बन्दी ने देशी तमन्चें से गोली मारकर अपने भाई सतीश की हत्या कर दी तथा पिता सूरजमान को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 51 वर्ष, 05 माह, 26 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने में सक्षम नहीं होने एवं पुनः अपराध कारित करने में अशक्त न होने के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नही किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी वीरेन्द्र उर्फ काकू पुत्र सूरजभान त्यागी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।